राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश
विशाल काम्पलेक्स, 19–ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ

जोड़ी ज़िम्मेदार
जो प्लान करे परिवार

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/FP-खु0प0दि0/179/2020–21/4881-2 दिनांकः 18.11.2020

विषय – **समुदाय में परिवार नियोजन सम्बंधी जागरूकता तथा स्वीकार्यता बढ़ाने तथा परिवार नियोजन की व्यापक प्रचार प्रसार के लिये प्रदेश में प्रत्येक माह की 21 तारीख को "खुशहाल परिवार दिवस" के आयोजन विषयक।**

महोदय/महोदया,

जैसा कि विदित है कि मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में परिवार नियोजन सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी क्रम में प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं की समुदाय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य .की प्राप्ति के दृष्टिगत परिवार नियोजन साधनों की ग्राहयता में वृद्वि किया जाना अति आवश्यक है।

समुदाय में परिवार नियोजन सम्बंधी जागरूकता तथा स्वीकार्यता बढ़ाने तथा परिवार नियोजन की व्यापक प्रचार प्रसार के लिये प्रदेश में प्रत्येक माह की 21 तारीख को "खुशहाल परिवार दिवस" मनाया जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अर्न्तगत राज्य स्तर से ग्रामीण स्तर तक के समस्त स्वास्थ्य इकाईयों पर परिवार नियोजन सम्बंधित गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी। नियत दिनांक 21 को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में "खुशहाल परिवार दिवस" का आयोजन किया जायेगा।

उद्देश्यः "खुशहाल परिवार दिवस" के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य समुदाय में परिवार नियोजन की जागरूकता तथा स्वीकार्यता बढ़ाना है ।

अ) **टारगेट ग्रुपः**

1. चिन्हित एच0आर0पी0 वाली महिलाओं जिनका प्रसव 01.01.2020 या उसके उपरान्त हुआ है।
2. नवविवाहित दम्पत्तियों जिनका विवाह 01.01.2020 या उसके उपरान्त हुआ है।
3. योग्य दम्पति जिनके तीन या तीन से अधिक बच्चें है।

ब) **आशा की भूमिकाः**

1. उपरोक्त सभी टारगेट ग्रुप में आने वाली महिलाओं की लाइन लिस्टिंग ग्रामीण एवं अर्बन समुदाय में आशा द्वारा की जायेगी।
2. वी0एच0एन0डी0 का दिन यदि 21 तारीख को है तो, उस वी0एच0एन0डी0 में परिवार नियोजन के साधनों को केन्द्रित करते हुये 'खुशहाल परिवार दिवस' वृहद रूप से मनाया जायेगा।
3. आशा, गृह भ्रमण कर उपरोक्त टारगेट ग्रुप दम्पत्ति को चिन्हित करेंगी, जो वर्तमान में परिवार नियोजन के किसी भी साधन को नहीं अपना रहें है, उनकी परिवार नियोजन की काउन्सलिंग– यथा परिवार नियोजन बास्केट ऑफ च्वाइस साधनो की जानकारी, भ्रांतियों को दूर करना, सेवाओं की उपलब्धता, स्वीकार्यता, प्रोत्साहन धनराशि आदि की जानकारी के साथ उन्हें परिवार नियोजन के प्रभावकारी साधन को अपनाने हेतु प्रेरित करेगी।
4. काउन्सलिंग के उपरांत आशा द्वारा अपने क्षेत्र में इच्छुक दम्पत्तियों का विधावार विभिन्न परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्री–रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। जिससे विभिन्न सेवाओं हेतु वर्क लोड, सेवा प्रदायगी हेतु स्वास्थ्य इकाई का चिन्हिकरण तथा संदर्भन की स्थिति स्पष्ट होगी।
5. आशा द्वारा समुदाय से टारगेट ग्रुप की चिन्हित अधिकतम महिलाओं को 21 तारीख को **एच0डब्ल्यू0सी0** पर परिवार नियोजन सलाह मशवरा एवं उपलब्ध सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु प्रेरित करते हुये 'खुशहाल परिवार दिवस' अवश्य मनाया जाये। इस गतिविधि में एच0डब्ल्यू0सी0 के सी0एच0ओ0 आशा को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।
6. सम्बन्धित ए0एन0एम0, एल0एच0वी0, आशा संगिनी तथा महिला आरोग्य समिति (MAS) के सदस्यों द्वारा आपसी समन्वय करते हुये इच्छुक लाभार्थी/दम्पत्ति द्वारा चुने गये साधनों का चिन्हित स्वास्थ्य इकाई पर सेवा उपलब्धता सुनिश्चित कराने में आशा को सहायता दी जानी है।

7. शहरी क्षेत्र में जहां पर आशा नहीं है वहां शहरी ए0एन0एम0 द्वारा उपरोक्त सभी गतिविधियों का कियान्वयन किया जायेगा
8. उक्त दिवस पर आशा द्वारा ऐसे नव विवाहित दम्पत्तियों, जिनका विवाह विगत एक वर्ष के अन्दर हुई हो, को नई पहल किट वितरण के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाओं हेतु आपसी सलाह/मश्वरा करते हुये परिवार नियोजन साधन का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाये तथा मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाये।

स) **Pledge for 21 Achiever** - जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी विधियो के संतुष्ट लाभार्थी/ दम्पत्ति को स्थानीय जन प्रतिनिधियों के द्वारा सम्मानित कराया जाये एवं इन्हीं संतुष्ट लाभार्थियों अथवा दम्पत्तियों के माध्यम से समुदाय में परिवार नियोजन के संदेश प्रचारित कराया जाये। प्राइवेट नर्सिंग होम, गैर सरकारी संस्था, आशा,

ए0एन0एम0 प्रोग्राम मैनेजर आदि द्वारा सबसे ज्यादा परिवार नियोजन के क्लाइंट को प्रोत्साहित या सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु उत्कृष्ट सेवा/योगदान का प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाये।

द) **प्रचार–प्रसारः** उक्त दिवस के आयोजन पर परिवार नियोजन सेवाओं सम्बंधित समस्त प्रकार के प्रचार प्रसार साधनों यथा– होर्डिंग, बैनर, पम्फलेट, पोस्टर, रेडियों स्पॉट, जिंगल्स, माइकिंग/सारथी वाहन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
उक्त दिवस के आयोजन में जनपद के जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये, इसके लिये पूर्व में ही उनसे समन्वय स्थापित किया जाये तथा यदि सम्भव हो तो उक्त दिवस का शुभारम्भ उन्हीं के द्वारा करायी जाये।

य) **समन्वयः** जनपद स्तर पर जिला अधिकारी के नेतृत्व में जनपद के सम्बंधित विभाग यथा– स्वास्थ्य, आई0सी0डी0एस0, शिक्षा, पी0आर0आई0, नगरीय निकाय के प्रतिनिधि, आई0एम0ए0, फॉक्सी, रोटरी, जनपद में कार्यरत समस्त सहयोगी संस्थाओं तथा प्राइवेट निजी चिकित्सालयों के संगठन के प्रतिनिधि इत्यादि के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की जानी है जिसमें जनपद में ग्राम स्तर तक उक्त दिवस के आयोजन सम्बंधित स्पष्ट उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये उक्त दिवस के उद्देश्यों को प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

र) **संवेदीकरण एवं समीक्षाः** मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जनपद के सभी कार्यक्रम प्रबन्धक, सेवाप्रदाता तथा फ्रन्ट लाईन वर्कर आदि का 'खुशहाल परिवार दिवस' के उद्देश्य, आयोजन, सेवाप्रदायगी की सुनिश्चितता, परिवार नियोजन कमोडिटी की उपलब्धता, अनुश्रवण, प्रगति तथा रिपोर्टिंग इत्यादि सम्बंधी विषयों पर संवेदीकरण किया जायेगा। यह बैठक प्रत्येक माह की जायेगी एवं इसके कार्यवृत्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, अपर निदेशक, चि0 स्वा0 एवं प0क0 तथा राज्य स्तर पर महानिदेशक, प0क0 तथा मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 को उपलब्ध कराये जायेंगे।

ल) **परिवार नियोजन सेवाओं तथा कमोडिटी की उपलब्धताः**

- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आशा के माध्यम से प्री– रजिस्ट्रेशन में उपलब्ध कराये गयी संख्या के आधार पर जनपद स्तरीय, एफ0आर0यू0, ब्लॉक पी0एच0सी0, अर्बन स्वास्थ्य इकाई तथा एच0डब्ल्यू0सी0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी के माध्यम से इकाई स्तरीय परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- प्री–रजिस्ट्रेशन द्वारा उपलब्ध कराये गये फेसेलिटीवार वर्क लोड के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा परिवार नियोजन सेवाप्रदाताओं की उपलब्धता नियत स्वास्थ्य इकाईयों पर सुनिश्चित की जायेंगी, ताकि परिवार नियोजन विशेषकर नसबंदी सेवाएं प्रदान करने में बाधा न आये।
- जनपदों में कार्यरत कॉट टीम एवं आवश्यकतानुसार इम्पैनल्ड निजी सेवाप्रदाताओं की सेवाप्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- आशा के माध्यम से प्री–रजिस्ट्रेशन द्वारा उपलब्ध कराये गये संख्या के आधार पर जनपद के विशेषकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर उक्त दिवस के दिन नसबंदी की सेवा अवश्य सुनिश्चित हो, नसबंदी सेवा सम्बंधित समस्त कार्यवाही खुशहाल दिवस के पूर्व में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

व) **अनुश्रवणः** जनपद में 'खुशहाल परिवार दिवस' की गतिविधियों के नोडल अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प0क0/नोडल परिवार कल्याण होंगे। गतिविधियों के अनुश्रवण में डी0पी0एम0 एवं एफ0 पी0 लाजिस्टिक (जहां उपलब्ध है) द्वारा फेसेलिटी स्तर तथा बी0सी0पी0एम0 एवं डी0सी0पी0एम0 द्वारा कम्यूनिटी स्तर की गतिविधियों में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को सहयोग दिया जायेगा।

श) **रिपोर्टिंगः** प्रत्येक माह के उक्त दिवस में की गई गतिविधियों यथा लाभार्थी/दम्पत्ति की टारगेट ग्रुपवार लाईन लिस्टिंग की संख्या काउन्सलिंग तथा विधावार, फेसेलिटीवार सेवाप्रदायगी की संख्या की संकलित रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर जनपदों द्वारा आगामी माह की 05 तारीख तक राज्य स्तर पर अवश्य प्रेषित की जानी है। रिपोर्टिंग में

आर0सी0पी0एम0, मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0 एवं लॉजिस्टिक मैनेजर, मण्डलीय एवं जनपदीय अर्बन हेल्थ को–आर्डिनेटर, डी0एफ0पी0एस0 इत्यादि सहयोग करेंगे।

यह स्पष्ट है कि परिवार नियोजन की सेवाएं प्रत्येक स्तर पर प्रतिदिन दी जानी है, जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्तर पर खुशहाल परिवार दिवस के आयोजन के कारण परिवार नियोजन की रेगुलर सेवाएं यथा–एफ0डी0एस0 / एफ0डी0ओ0एस0 बाधित न हो।

आशा है कि जनपदों में खुशहाल परिवार दिवस सम्बंधित उपरोक्त गतिविधियां के क्रियान्वयन उपरांत समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन की चर्चा होगी तथा ग्राहयता बढ़ेगी।

तत्क्रम में, आपसे अनुरोध है कि कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जनपदों में खुशहाल परिवार दिवस की सफलतापूर्वक आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया

<u>संलग्न यथोक्त।</u>

Aparna U.
(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक :– एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / FP-खु0प0दि0 / 179 / 2020–21 /

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एन0यू0एच0एम0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. महाप्रबंधक, कम्यूनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त रीजनल एवं जपनदीय कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय अर्बन हेल्थ को–ऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलीय / जनपदीय फैमिली प्लानिंग एण्ड लॉजिस्टिक मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
13. राज्य प्रतिनिधि, सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित कि जनपदो के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी के साथ समन्वयन कर खुशहाल परिवार दिवस से सम्बन्धित गतिविधियों को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(डा0 अल्पना शर्मा)
महाप्रबन्धक, प0क0